# आदेश

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र पृष्ठ संख्या 14272–14292/ई 2 जी-134(पी), कानपुर दिनांक 30 जून 2019 द्वारा श्री चन्द्रकान्त शुक्ला व्याख्याता कम्प्यूटर संस्थागत का स्थानान्तरण राजकीय पालीटेक्निक सोनभद्र से राजकीय महिला पालीटेक्निक अमेठी हो जाने के फलस्वरूप श्री शुक्ल को आज दिनांक 03.07.2019 के अपराह्न काल से राजकीय महिला पालीटेक्निक अमेठी हेतु संस्था से कार्यमुक्त किया जाता है तथा श्री शुक्ल को निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी नई तैनाती संस्था में जाकर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

PRINCIPAL
Government Polytechnic
Sonebhadra

कार्यालय : प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक सोनभद्र।

पत्रांक – 41-47 /स्था0स्थाना0/[illegible]/2019 दिनांक 03/07/2019

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (मध्य क्षेत्र) लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (पूर्वी क्षेत्र) वाराणसी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद सोनभद्र।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालीटेक्निक अमेठी।
6. लेखा लिपिक राजकीय पालीटेक्निक सोनभद्र।
7. श्री चन्द्रकान्त शुक्ल व्याख्याता कम्प्यूटर संस्थागत को इस निर्देश के साथ कि वह अपनी नई तैनाती संस्था में उपस्थित होकर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(बृजेन्द्र सिंह)
PRINCIPAL
Government Polytechnic
Sonebhadra
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक
सोनभद्र

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh
विकास नगर, कानपुर–208002
Vikas Nagar, Kanpur-208002
वेबसाइट/website : http://uptod.gov.in/directorate
दूरभाष/Phone: 2582084 • फैक्स/Fax: 2580965 • ई–मेल/email:directordteup@gmail.com


:: आदेश ::

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निकों के समूह "ख" श्रेणी में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :–

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम व पदनाम<br>सर्वश्री :– | वर्तमान तैनाती का स्थान | संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | चन्द्रकान्त शुक्ला, प्रवक्ता कम्प्यूटर | राजकीय पालीटेकनिक, चोपन सोनभद्र | राजकीय महिला पालीटेकनिक, अगोठी | स्वयं के अनुरोध पर। |
| 2. | रवि चौधरी, प्रवक्ता कम्प्यूटर | राजकीय पालीटेकनिक, बीघापुर, उन्नाव | राजकीय पालीटेकनिक, मवाना खुर्द मेरठ | स्वयं के अनुरोध पर। |

उपरोक्त कार्मिकों में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक–3/2018/1/3/96–का–4–2018, दिनांक 29.03.2018 तथा 2/2019/1/3/96–का–4–2019, दिनांक–28.05.2019 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

( आर०सी० राजपूत )
निदेशक।

संख्या 14–1–14292/ई–2–दो–134(पी), कानपुर:दिनांक 30 जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2, विधान भवन, लखनऊ।